

क्रमांक 3317002/छ.ग./2017
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /08/2017

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- अधीक्षण अभियंता (सिविल) को शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2017 दिनांक 03.08.2017.

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया श्री एस.के. अवधिया, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर को शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ.क्र. 3317002/छ.ग./2017 / 12311
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 08/08/2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ समर्पित।
2. श्री एस.के. अवधिया, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर।
3. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, रायपुर।
4. मास्टर नस्ती।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-2 एवं 3)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर

5/8



छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
—: आदेश :—

नया रायपुर, दिनांक .08.2017

क्रमांक एफ 01-10/31/स्था./2017 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.11.2016 द्वारा श्री एस.के. अवधिया, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

राज्य शासन एतद्वारा श्री एस.के. अवधिया, अधीक्षण अभियंता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर को यथावत रखते हुए अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू-जल सर्वेक्षण मंडल, रायपुर से मुक्त किया जाता है।

2. स्थानांतरित अधिकारी एक सप्ताह के भीतर कार्य मुक्त किये जायें। दिनांक 10.08.2017 की स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे।
3. अधिसूचित क्षेत्र से स्थानांतरित अधिकारी, एवजीदार के आने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
4. वर्तमान में पदस्थ/कार्यरत प्रभारी/अतिरिक्त प्रभार, अनुविभागीय अधिकारी, नियमित अनुविभागीय अधिकारी की पदस्थापना होने के फलस्वरूप, स्वमेव मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त माने जावेंगे।
5. स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाकर, पालन प्रतिवेदन समय-सीमा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
6. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकण्ठ टीकाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक 03.08.2017


पृष्ठांकन क्र. एफ 01-10/31/स्था./2017,
प्रतिलिपि:—


1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
2. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
4. सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
7. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ रायपुर।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।

81

- 9. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
- 10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर ।
- 11. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर ।
- 12. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग छ.ग. ।
- 13. समस्त अधीक्षण अभियंता, (छ.ग.) ।
- 14. संबंधित कोषालय अधिकारी जिला कोषालय (छ.ग.) ।
- 15. सर्वश्री द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर ।
- 16. आदेश फोल्डर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।




 संयुक्त सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन,
 जल संसाधन विभाग

